प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 19.10.2024

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा पीड़ित के साथ मारपीट करने वाले 3 अभियुक्त गण को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 18.10.2024 को एक व्यक्ति द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र मे कुछ व्यक्तियो द्वारा मारपीट करने के सम्बन्ध मे सूचना दी गयी उक्त सूचना का संज्ञान लेते हुए पीडित की तलाश की गयी तथा पीडित श्री प्रदीप गुप्ता द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मारपीट के सम्बन्ध एक लिखित तहरीर दी गयी, जिसमे आरोपित किया गया कि विपक्षीगण रोशन झा ने अपने 7-8 अन्य साथियों के साथ मिलकर पीडित प्रदीप गुप्ता व परिवारीजनों के साथ मारपीट की गयी। प्राप्त लिखित तहरीर पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त गण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये गये।

आज दिनांक 19.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्त गण (1) शिवपाल सिंह पुत्र विजय सिंह (2) सर्वेन्द्र पाल पुत्र रघुवीर सिंह (3) सुनील कुमार पुत्र कृष्ण को सुसान्त एक्वापोलिस सोसाइटी के गेट थाना क्षेत्र क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त गण के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त गण—

(1) शिवपाल सिंह पुत्र विजय सिंह निवासी टीवर डी-8, फ्लैट नं0 1201 सुसान्त एक्वापोलिस थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गा0बाद उम्र 36 वर्ष।

(2) सर्वेन्द्र पाल पुत्र रघुवीर सिंह निवासी टीवर डी-8, फ्लैट नं0 1201 सुसान्त एक्वापोलिस थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गा0बाद उम्र 45 वर्ष।

(3) सुनील कुमार पुत्र कृष्ण निवासी टीवर डी-8, फ्लैट नं0 1201 सुसान्त एक्वापोलिस थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गा0बाद उम्र 43 वर्ष।

पूछताछ का विवरण---

अभियुक्त गण ने पूछताछ पर बताया कि मैन्टीनेंस की बकाया धन राशि न देकर सोसाइटी छोडकर जाने पर हमारे मैंन्टीनेन्स अधिकारी रोशन झा द्वारा बकाया धनराशि देने को कहा गया तो प्रदीप गुप्ता ने मना कर दुर्व्यवहार किया जिस कारण प्रदीप गुप्ता के साथ मिलकर हम सबने उसके साथ डन्डों से मारपीट कर दी।

आपराधिक इतिहास---

अभियुक्त गण उपरोक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर मारपीट से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत है।
अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 13 कार्टन अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे बरामद।

दिनांक 18.10.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त भुवन शर्मा उर्फ भानू पुत्र श्री बंटी शर्मा निवासी आर एच 435 शिव शक्ति मंदिर के

सामने गली नं0 06 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को एच ब्लाक गली नं0 06 ईदगाह शहीद नगर थाना साहिबाबाद से 13 कार्टन अवैध मिश्रित आतिशबाजी पटाखे सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त भुवन शर्मा उर्फ भानू पुत्र श्री बंटी शर्मा उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त भुवन शर्मा उर्फ भानू पुत्र श्री बंटी शर्मा उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं इन अवैध पटाखों को दिल्ली से सस्ते पैसों में खरीदकर शहीदनगर साहिबाबाद में दिवाली पर ज्यादा पैसों में बेचने के लिये ले जा रहा था। जिससे मैं अधिक पैसे कमा सकूँ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

भुवन शर्मा उर्फ भानू पुत्र श्री बंटी शर्मा निवासी आर एच 435 शिव शक्ति मंदिर के सामने गली नं0 06 शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

<u>बरामदगी व विवरण</u>

कुल 13 कार्टन अवैध आतिशबाजी मिश्रित पटाखे बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा जबरदस्ती हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने , गाली गलौच मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर गर्भपात कराने के अभियोग में वाँछित एक अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.09.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त ताहिर खान पुत्र सलीम खान द्वारा वादिया के साथ धोखे से अभियुक्त उस्मान खान का नाम आयुष्मान बदलकर वादिया से शादी करा देना तथा वादिया को जबरदस्ती हिन्दू धर्म से मुस्लिम धर्म परिवर्तन कराने का दबाब बनाकर वादिया के साथ गाली गलौच, मारपीट कर जान से मारने की धमकी देना व वादिया का गर्भपात करा देने के संबंध में थाना कौशाम्बी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कौशाम्बी पर वाँछित चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु मुखबिर की सूचना पर रवाना होकर दिनांक 18.10.2024 को अभियुक्त उस्मान खान पुत्र सलीम खान मूल पता – म0न0 214 ए चुंगी न0 2 थाना पुल प्रहलादपुर दिल्ली हाल पता फ्लैट न0 203 2nd फ्लोर खैय्यम नगर थाना अट्टापुर साईबराबाद हैदराबाद तेलंगाना उम्र करीब 39 वर्ष को थाना अट्टापुर हैदराबाद तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

उस्मान खान पुत्र सलीम खान मूल पता – म0न0 214 ए चुंगी न0 2 थाना पुल प्रहलादपुर दिल्ली हाल पता फ्लैट न0 203 2nd फ्लोर खैय्यम नगर थाना अट्टापुर साईबराबाद हैदराबाद तेलंगाना उम्र करीब 39 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 19.10.2024 को थाना लोनी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गैंगस्टर के अभियोग में वांछित अभियुक्त आसिफ पुत्र मेहर इलाही निवासी निठोरा रोड लोनी थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी मोहल्ला मजीदपुरा थाना कोतवाली नगर हापुड़ को अशोक विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैंने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गौ हत्या जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें मैं अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुका हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

आसिफ पुत्र मेहर इलाही निवासी निठोरा रोड लोनी थाना लोनी गाजियाबाद हाल निवासी मोहल्ला मजीदपुरा थाना कोतवाली नगर हापुड, उम्र करीब 29 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध गौ वध व गैंगस्टर अधिनियम के कुल 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना भोजपुर पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 16.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से हमला करने व सरकारी कार्य मे बाधा पहुंचाने वाले अभियुक्तों 1.अशोक पुत्र ओमप्रकाश 2.राहुल पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण ग्राम रोहताश गढी थाना भोजपुर गाजियाबाद व 3-4 अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात दिनांक 18.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त पवन पुत्र संजय कुमार निवासी रोहताश गढी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद को निडौरी अन्डरपास के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है।

आज दिनांक 19.10.2024 को थाना भोजपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1.राहुल पुत्र विजेन्द्र निवासी रोहताश गढ़ी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद 2. गौरव कुमार पुत्र राजकुमार उर्फ शेखर निवासी रोहताश गढी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद को कलछीना से मानकी मार्ग पर दौसा बंजारपुर की पुलिया से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछने पर बताया कि दिनांक 16.10.2024 को हम तथा हमारे साथी सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन कर रहे थे तभी गश्त कर रही पुलिस द्वारा हम लोगों को वहां से जाने के लिये कहा गया जिस पर हम लोग नाराज हो गये और पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया था।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना भोजपुर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

1. राहुल पुत्र विजेन्द्र निवासी रोहताश गढी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।
2. गौरव कुमार पुत्र राजकुमार उर्फ शेखर निवासी रोहताश गढी कलछीना थाना भोजपुर गाजियाबाद उम्र करीब 32 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

थाना भोजपुर पुलिस टीम।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 03 मोटर साइकिल व 02 स्कूटी बरामद।

आज दिनांक 19.10.2024 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा सीआरसी कट थाना साहिबाबाद पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग के दौरान अभियुक्त राहुल कुशवाह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ई-105 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष को चोरी की एक मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके उपरान्त ई-चालान ऐप पर चैक किया गया तो उपरोक्त मोटर साइकिल जितेन्द्र कुमार पुत्र पीतम सिंह निवासी सी 49 कृष्णा विहार गाजियाबाद के नाम पर पंजीकृत है। जिसके सम्बन्ध में थाना टीलामोड़ पर अभियोग पंजीकृत है। जिससे गहनता से पूछताछ की गयी तो अभियुक्त राहुल कुशवाह उपरोक्त की निशादेही पर 02 मोटर साइकिल व 02 स्कूटी चोरी की बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त राहुल कुशवाह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल कुशवाह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश उपरोक्त नेपूछताछ में बताया कि यह मोटर साइकिल व स्कूटी मैने ही अलग-अलग जगहों से चोरी की थी और बेचने के लिए इन्हे बैंक वाली गली में रेलवे ट्रेक के पास झाडियों में छिपा दिया था जो मोटर साइकिल व स्कूटी दुकान व घर के बाहर खड़े रहते हैं। उन्हें चोरी कर सस्ते दामों में राह चलते व्यक्तियों या कबाड़ी की दुकानों पर बेच देता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

राहुल कुशवाह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश निवासी ई-105 जनकपुरी थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 24 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल कुशवाह पुत्र स्व0 ओमप्रकाश उपरोक्त के विरुद्ध वाहन चोरी के थाना साहिबाबाद, इन्दिरापुरम,शालीमार गार्डन, टीलामोड़, दिलशाद गार्डन दिल्ली पर आधा दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है ।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 03 मोटर साइकिल व 02 स्कूटी बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम ।

थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 19.10.2024 को थाना लिंक रोड़ पुलिस टीम द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त जाने आलम उर्फ जानू चौधरी पुत्र महबूब निवासी ग्राम तियोडी तेरहवीसा थाना भोजपुर गाजियाबाद हाल पता सी-1104 स्टार रामेश्वरम् सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब-39 वर्ष को कौशाम्बी बस अड्डा थाना लिकं रोड़ से गिरफ्तार किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त जाने आलम उर्फ जानू चौधरी पुत्र महबूब उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।
अभियुक्त जाने आलम उर्फ जानू चौधरी, उसके अन्य साथी खलील चौधरी व आरिफ पुत्र बाबू खाँन का महाराजपुर में एक संगठित गिरोह है । जिसका मुखिया आरिफ है ।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त जाने आलम उर्फ जानू चौधरी पुत्र महबूब उपरोक्त साइट- 4 साहिबाबाद गाजियाबाद में संचालित बैंकेट हॉल, फैक्ट्री मालिकों के विरूद्ध आर टी आई डालकर उसका भय दिखाकर कार्यवाही न करने की एवज में धोखाधड़ी करके गैंग के आर्थिक, भौतिक लाभ के लिये एक साथ मिलकर गाजियाबाद में धोखाधड़ी कर अवैध रुप से धन की उगाही करते है तथा फैक्ट्री मालिकों को भय दिखाकर उनसे प्रत्येक महीने अवैध धन वसूल करते है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

जाने आलम उर्फ जानू चौधरी पुत्र महबूब नि0 ग्राम तियोडी तेरहवीसा थाना भोजपुर गाजियाबाद हाल पता सी-1104 स्टार रामेश्वरम् सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र करीब-39 वर्ष ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त जाने आलम उर्फ जानू चौधरी पुत्र महबूब उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंक रोड़ पर धोखाधड़ी, अवैध वसूली/ उगाही करना व गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित कुल 02 अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना लिंक रोड पुलिस टीम ।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा विशेष समुदाय के व्यक्तियों द्वारा नारेबाजी कर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार गया ।
उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 29 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 04.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा सैंकडों अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जमा होकर डासना देवी मन्दिर के सामने विशेष समुदाय के ईष्ट पर टिप्पणी के विरोध स्वरूप को लेकर नारेबाजी व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गईं।

आज दिनांक 19.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में वांछित 02 अभियुक्तों 1. वसीम पुत्र सम्मन निवासी काजी वाली मस्जिद कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद 2. आसिफ पुत्र यामीन निवासी छज्जा बाजार कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में अभी तक कुल 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमारे ईष्ट पर दूसरे समुदाय के व्यक्तियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी जिससे हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुँची थी जिसके कारण हम लोगों ने रोष में आकर इकट्ठा होकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों में उस दिन बहुत गुस्सा था तथा पुलिस द्वारा हमें समझाया व रोका गया परन्तु हम नहीं माने और फिर हम लोग वहाँ से भाग गये थे। बाद में हमे पता चला था कि हमारे खिलाफ मुकदमा लिख गया है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1. वसीम पुत्र सम्मन निवासी काजी वाली मस्जिद कस्बा डासना थाना वेव सिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।
2. आसिफ पुत्र यामीन निवासी छज्जा बाजार कस्बा डासना थाना वेवसिटी गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम।

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा एक जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.10.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 03.07.2024 से जिला बदर चल रहे अपराधी इशू चौधरी उर्फ अन्नू शिखरवार पुत्र शीशपाल निवासी अशोक वाटिका पसौण्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष को शालीमार गार्डन सोसाइटी टीलामोड़ गाजियाबाद की सीमा में पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त इशू चौधरी उर्फ अन्नू शिखरवार उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

इशू चौधरी उर्फ अन्नू शिखरवार पुत्र शीशपाल निवासी अशोक वाटिका पसौण्डा थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र 29 वर्ष।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त इशू चौधरी उर्फ अन्नू शिखरवार उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर दंगा भड़काने, धार्मिक आस्था को आहत करने, धर्म का अपमान करने व पॉक्सो अधिनियम से सम्बन्धित 05 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीला मोड़ पुलिस टीम।